



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



5 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 142 राँची, गुरुवार,

26 मार्च, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

29 जनवरी, 2026

सं०-14/ए०-29/2019-280--श्री ब्रज किशोर भारती (रा०पु०से०), तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, एस०आई०आर०बी०-02, खूँटी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने तथा पहली पत्नी को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। श्री भारती का उक्त कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 23 (2) का उल्लंघन है।

2. उक्त कृत्य के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री ब्रज किशोर भारती (रा०पु०से०), तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक एस०आई०आर०बी०-02, खूँटी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-3604, दिनांक-22.09.2021 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी-सह-जाँच पदाधिकारी के द्वारा दिनांक-25.03.2022 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्री भारती के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री भारती के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर उनसे झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत प्रस्तावित दण्ड "पेंशन से 25 (पच्चीस) प्रतिशत राशि की कटौती अगले 05 (पाँच) वर्षों तक" अधिरोपित करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-1899, दिनांक-25.04.2023 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। उक्त के आलोक में श्री भारती द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में ऐसा कोई अलग से तथ्य नहीं दिया गया है जिससे कि श्री भारती को आरोपों से मुक्त किया जा सके।

5. उक्त प्रस्तावित दण्ड अधिरोपित किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक-5384, दिनांक-16.11.2023 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति की माँग की गई। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा श्री भारती के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए उनके पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि की कटौती अगले 05 (पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने पर सहमति का परामर्श पत्रांक-4504, दिनांक 19.12.2025 द्वारा दिया गया है।

6. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से उक्त प्राप्त परामर्श एवं सहमति के सम्यक विचारोपरांत श्री ब्रज किशोर भारती (रा०पु०से०), तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, एस०आई०आर०बी०-02, खूँटी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत "पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत राशि अगले 05 (पाँच) वर्षों तक कटौती" का दण्ड अधिरोपित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-3604, दिनांक-22.09.2021 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार तिकी,
सरकार के अपर सचिव ।
